



**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, नागपुर**  
**ई-निविदा आमंत्रित करने की सूचना (एनआईटी) (केवल ई-खरीद के माध्यम से)**  
**निविदा की अनुसूची (एसओटी)**

1	ई-निविदा संख्या	(एनआईटी नं. आरबीआई/नागपुर क्षेत्रीय कार्यालय/एचआरएमडी/1/25-26/ईटी/335[कॉफी मशीन- सर्विस])
2	अनुबंध का अनुमानित मूल्य	<b>₹16.00 लाख*</b>
3	निविदा की प्रणाली	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम ( <a href="http://www.mstcecommerce.com/eproc">www.mstcecommerce.com/eproc</a> के माध्यम से ऑनलाइन भाग I – तकनीकी बोली और भाग II - वित्तीय बोली)
4	निविदा आमंत्रण सूचना की तिथि (एनआईटी) देखने/डाउनलोड के लिए उपलब्ध है	<b>28 जुलाई 2025 को दोपहर 01:00 बजे</b>
5	बोली पूर्व बैठक	<b>01 अगस्त 2025 को सुबह 11:30 बजे</b> आरबीआई, नागपुर में
6	एनआईटी के माध्यम से बयाना धन जमा (ईएमडी)	₹32,000/- (रुपये बत्तीस हजार मात्र) ईएमडी जमा करने के लिए खाता विवरण: लाभार्थी का नाम - भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर IFSC: RBISONGPA01 (5वां और 10वां अंक शून्य है) खाता संख्या: 8714295
7	ईएमडी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	<b>18 अगस्त 2025</b>
8	ऑनलाइन तकनीकी बोली और वित्तीय बोली प्रस्तुत करने के लिए <a href="http://www.mstcecommerce.com/eproc">www.mstcecommerce.com/eproc</a> पर ई-निविदा शुरू करने की तिथि	<b>01 अगस्त 2025 को दोपहर 03:00 बजे</b>
9	तकनीकी बोली और वित्तीय बोली प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा के समापन की तिथि।	<b>18 अगस्त 2025 को दोपहर 02:00 बजे</b>
10	भाग-I खोलने की तिथि और समय (अर्थात् तकनीकी बोली)	<b>18 अगस्त 2025 को दोपहर 03:00 बजे</b>
11	भाग-II वित्तीय बोली: भाग II खोलने की तिथि	<b>भाग-II</b> वित्तीय बोली केवल उन्हीं बोलीदाता (बोलीदाताओं) की इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी जिनकी भाग-I तकनीकी बोली बैंक द्वारा स्वीकार्य पाई गई है। ऐसे बोलीदाता (बोलीदाताओं) को उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई मान्य ई-मेल के माध्यम से भाग-II वित्तीय बोली खोलने की तारीख सूचित की जाएगी।
12	लेनदेन शुल्क	एमएसटीसी मानदंडों के अनुसार

**\*नोट - निविदा का अनुमानित मूल्य लगभग ₹26 लाख प्रति वर्ष है, हालांकि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, हम केवल सात महीने के लिए विचार कर रहे हैं। इसलिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निविदा की लागत लगभग ₹16 लाख है।**



**भारतीय रिज़र्व बैंक  
क्षेत्रीय कार्यालय  
नागपुर**

**आरबीआई, एमओबी /एओबी, नागपुर में बैंक के परिसर में कॉफी/चाय की आपूर्ति के लिए  
कॉफी/चाय वेंडिंग मशीनों की स्थापना और रखरखाव के लिए ई-निविदा**

**(एनआईटी नं. आरबीआई/नागपुर क्षेत्रीय कार्यालय/एचआरएमडी/1/25-26/ईटी/335[कॉफी  
वेंडिंग मशीन-सर्विस])**

**भारतीय रिज़र्व बैंक,  
क्षेत्रीय कार्यालय  
मानव संसाधन प्रबंधन विभाग  
मुख्य कार्यालय भवन,  
नागपुर-440001**

### अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, नागपुर, (बैंक) ने यह निविदा दस्तावेज तैयार किया है। यह निविदा इस निविदा में निर्धारित नियमों और शर्तों और इस तरह की जानकारी से संबंधित किसी भी अन्य नियम और शर्तों के अनुसार जारी की गई है।

इस निविदा का उद्देश्य सभी इच्छुक पार्टियों को अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए बैंक की आवश्यकताओं को पूरा करना है। हालांकि बैंक ने यहां निहित जानकारी तैयार करने में उचित सावधानी बरती है, बैंक यह दावा नहीं करता है कि जानकारी संपूर्ण है। इस निविदा के उत्तरदाताओं को अपनी पूछताछ करने की आवश्यकता होगी और उन्हें केवल निविदा में दी गई जानकारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर उत्तरदाताओं द्वारा कोई समुचित सावधानी नहीं बरती गई है तो बैंक जिम्मेदार नहीं है। यह निविदा न तो करारनामा है और न ही किसी पार्टी को किसी भी तरह का काम करने का आमंत्रण है।

बैंक इस निविदा के साथ आगे नहीं बढ़ने, इस दस्तावेज़ में परिलक्षित समय सारिणी को बदलने या लागू होने वाली प्रक्रिया या प्रणाली को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह किसी भी उत्तरदाता के साथ निविदा पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

अपनी बोली प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति या किसी भी प्रकार से भुगतान नहीं किया जाएगा।

**क्षेत्रीय निदेशक  
भारतीय रिज़र्व बैंक  
क्षेत्रीय कार्यालय  
नागपुर**

भारतीय रिज़र्व बैंक  
मानव संसाधन प्रबंधन विभाग  
नागपुर – 440001  
(वेबसाइट: [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in))

निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)

एमओबी और एओबी, नागपुर में बैंक के परिसर में कॉफी/चाय की आपूर्ति के लिए कॉफी/चाय  
वेंडिंग मशीनों की स्थापना और रखरखाव के लिए ई-निविदा

भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर क्षेत्रीय कार्यालय (आगे "बैंक" कहा गया है), भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर क्षेत्रीय कार्यालय के परिसर में किराए के आधार पर कॉफी/चाय वेंडिंग मशीनों की स्थापना और रखरखाव के उद्देश्य से प्रतिष्ठित और सक्षम एजेंसियों/कंपनियों को इस प्रयोजनार्थ और कॉफी/चाय, विभिन्न प्रकार के सूप पाउच की आपूर्ति, भारत में ताजे दूध/कॉफी बीन्स की आपूर्ति के लिए दो-बोली प्रणाली (तकनीकी और वित्तीय बोली) के तहत ई-निविदा आमंत्रित करता है। यह अनुबंध शुरू में 01 सितंबर, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक 7 महीने की अवधि के लिए वैध होगा और उसके बाद सेवा प्रदाता/प्रदाताओं के संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर बैंक द्वारा निविदा में उल्लिखित मूल्य वृद्धि खंड के साथ वार्षिक समीक्षा के अधीन दो साल, एक बार में एक वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जाएगा।

2. ई-निविदा दस्तावेज और अन्य फॉर्म नीचे दी गई वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं:

<https://www.mstcecommerce.com/eprocn>

[https://www.rbi.org.in/Scripts/BS\\_ViewTenders.aspx](https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewTenders.aspx)

3. निविदा दस्तावेज 28 जुलाई, 2025 को दोपहर 01:00 बजे से देखने/डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा। निर्धारित प्रपत्र में निविदा दो भागों में प्रस्तुत की जानी है, निविदा का भाग-I तकनीकी बोली है जिसमें बैंक की मानक तकनीकी-वाणिज्यिक शर्तें शामिल हैं और निविदा का भाग-II वित्तीय बोली या मूल्य बोली के लिए है। ई-निविदा का भाग-I और II 28 जुलाई, 2025 को दोपहर 01.00 बजे से **18 अगस्त, 2025 को दोपहर 02.00 बजे तक** जमा किया जाना है। नियत तारीख और समय के बाद निविदाएं प्रस्तुत नहीं की जा सकती हैं। निविदा दस्तावेज के सभी पृष्ठों पर बोलीदाता/ बोलीदाता के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर और मुहर लगाई जानी चाहिए और अपलोड किया जाना चाहिए। इच्छुक बोलीदाताओं की बोली-पूर्व बैठक (ऑफ-

लाइन मोड) **01 अगस्त, 2025 को सुबह 11.30 बजे** भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर में आयोजित की जाएगी। निविदाओं का भाग-I 18 अगस्त, 2025 को दोपहर 03:00 बजे खोला जाएगा। पात्र बोलीदाताओं की निविदा का भाग-II बाद की तारीख को खोला जाएगा जिसकी सूचना बोलीदाताओं को पहले से दी जाएगी।

4. इस सेवा की लागत **7 महीने के लिए लगभग ₹16.00 लाख** होने का अनुमान है\*। 32,000/- रुपये (बत्तीस हजार रुपये मात्र) की ईएमडी का भुगतान भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर के पक्ष में एनईएफटी/डीडी के माध्यम से 18 अगस्त, 2025 **को या उससे पहले** किया जाना है। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के साथ भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

\* नोट - प्रारंभिक सेवा अनुबंध 01 सितंबर, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक वैध होगा। इसे 31 मार्च, 2028 तक दो साल (एक बार में एक वर्ष) के लिए और नवीनीकृत किया जा सकता है, जो संतोषजनक प्रदर्शन की समीक्षा के अधीन है।

5. भाग-I और संबंधित दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि किसी भी निविदाकर्ता के पास अपेक्षित पात्रता नहीं पाई जाती है, तो उनकी निविदाएं बैंक द्वारा आगे की प्रक्रिया के लिए स्वीकार नहीं की जाएंगी और उनकी वित्तीय बोली (निविदा का भाग-II) नहीं खोली जाएगी। यदि किसी भी समय निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए किसी निविदाकर्ता के पास अपेक्षित पात्रता नहीं पाई जाती है और/या बैंकर की रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो बैंक के पास निविदा के भाग-II के खुलने के बाद भी उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। बैंक इसके लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

6. बैंक न्यूनतम निविदा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

7. इस निविदा के संबंध में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। निविदाकर्ता को उपर्युक्त वेबसाइट पर किसी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण के लिए नियमित रूप से उपर्युक्त वेबसाइट/पोर्टल की जांच करनी होगी।

**क्षेत्रीय निदेशक  
भारतीय रिज़र्व बैंक  
क्षेत्रीय कार्यालय  
नागपुर**

### **निविदा की अनुसूची (एसओटी)**

<b>1</b>	ई-निविदा संख्या	(एनआईटी नं. आरबीआई/नागपुर क्षेत्रीय कार्यालय/एचआरएमडी/1/25-26/ईटी/335[कॉफी वेंडिंग मशीन- सर्विस])
<b>2</b>	अनुबंध का अनुमानित मूल्य	₹16.00 लाख*
<b>3</b>	निविदा की प्रक्रिया	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम <a href="http://www.mstcecommerce.com/eprocn">www.mstcecommerce.com/eprocn</a> के माध्यम से (ऑनलाइन भाग I – तकनीकी बोली और भाग II - वित्तीय बोली)
<b>4</b>	देखने/डाउनलोड के लिए उपलब्ध है निविदा आमंत्रण सूचना की तिथि (एनआईटी)	<b>जुलाई 28, 2025 को 01:00 दोपहर</b>
<b>5</b>	बोली पूर्व बैठक	01 अगस्त, 2025 को सुबह 11:30 बजे आरबीआई, नागपुर में
<b>6</b>	एनईएफटी के माध्यम से बयाना धन जमा (ईएमडी)	₹32,000/- (रुपये बत्तीस हजार मात्र) ईएमडी जमा करने के लिए खाता विवरण: लाभार्थी का नाम- भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर IFSC: RBISONGPA01 (5वां और 10वां अंक शून्य है) खाता संख्या: 8714295
<b>7</b>	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	<b>18 अगस्त, 2025</b>
<b>8</b>	ऑनलाइन तकनीकी बोली और वित्तीय बोली प्रस्तुत करने के लिए ई-निविदा शुरू करने की तिथि <a href="http://www.mstcecommerce.com/eprocn">www.mstcecommerce.com/eprocn</a> पर	अगस्त 01, 2025 को <b>03:00 दोपहर</b>
<b>9</b>	तकनीकी बोली और वित्तीय बोली प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा के समापन की तिथि।	अगस्त 18, 2025 को <b>02:00 दोपहर</b>
<b>10</b>	भाग-I खोलने की तिथि और समय (अर्थात तकनीकी बोली)	अगस्त 18, 2025 को <b>03:00 दोपहर</b>
<b>11</b>	भाग-II वित्तीय बोली: भाग II खोलने की तिथि	भाग-II वित्तीय बोली केवल उन्हीं बोलीदाता(बोलीदाताओं) की इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी जिनकी भाग-I तकनीकी बोली बैंक द्वारा स्वीकार्य पाई गई है। ऐसे बोलीदाता (बोलीदाताओं) को उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई वैध ई-मेल के माध्यम से भाग-II वित्तीय बोली खोलने की तारीख सूचित की जाएगी।
<b>12</b>	लेनदेन शुल्क	एमएसटीसी मानदंडों के अनुसार

**\*नोट - निविदा का अनुमानित मूल्य लगभग ₹26 लाख प्रति वर्ष है, हालांकि चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, हम केवल सात महीने के लिए इस पर विचार कर रहे हैं। इसलिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निविदा की लागत लगभग ₹16 लाख है।**

## **खण्ड I**

### **ई-निविदा प्रक्रिया और महत्वपूर्ण निर्देश**

यह भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर का एक ई-प्रोक्योरमेंट इवेंट है। ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड है।

आपसे अनुरोध है कि आप अपनी निविदा ऑनलाइन प्रस्तुत करने से पहले निविदा आमंत्रण नोटिस और बाद के शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, को पढ़ और समझ लें।

#### **1. ई-निविदा की प्रक्रिया:**

**पंजीकरण:** इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ वेंडर का पंजीकरण शामिल है जो निः शुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, वेंडर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बोलियां प्रस्तुत कर सकते हैं। तकनीकी बोली के साथ-साथ वित्तीय बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली इंटरनेट पर की जाएगी। वेंडर के पास तृतीय श्रेणी का साइनिंग टाइप डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। वेंडर ओं को इंटरनेट से जुड़े पीसी से बोली लगाने के लिए अपनी व्यवस्था करनी है। एमएसटीसी/आरबीआई, नागपुर ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां दर्ज नहीं की जाएंगी)।

नोट: तकनीकी बोली और वित्तीय बोली एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा की जानी है (कॉमन पोर्टल) [www.mstcecommerce.com/eprocn/](http://www.mstcecommerce.com/eprocn/) (वर्शन 3)

निविदाकर्ताओं को [www.mstcecommerce.com/eprocn](http://www.mstcecommerce.com/eprocn) पर पंजीकरण करना आवश्यक है।

वेंडर के रूप में पंजीकरण करें - विवरण भरना और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड सबमिट करना। अधिक जानकारी के लिए, डाउनलोड गाइड/वीडियो/पंजीकरण पर जाएं

अ) वेंडरों को उनके ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि में एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा जो पंजीकरण फॉर्म भरने के दौरान प्रदान किया गया है।

आ) किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया आरबीआई/एमएसटीसी से संपर्क करें, (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले)।

#### **वेंडरों के लिए संपर्क व्यक्ति (MSTC):**

एचओ सेंट्रल हेल्प डेस्क: (वेंडरों के लिए)

फ़ोन नंबर: 07969066600

[helpdeskho@mstcindia.in](mailto:helpdeskho@mstcindia.in) (कृपया ईमेल भेजते समय विषय के रूप में "एचओ हेल्पडेस्क" का उल्लेख करें)

डब्ल्यूआरओ हेल्पडेस्क: 7651915418/02269856817/02269856800

उपलब्धता

सभी तकनीकी मुद्दों, ई-निविदाओं, सिस्टम सेटिंग्स आदि के लिए सभी कार्य दिवसों पर सुबह 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक।

सम्पर्क करने का विवरण
एमएसटीसी लिमिटेड
आरबीआई अधिकारियों के लिए निविदाओं में किसी भी तकनीकी स्पष्टीकरण के मामले में एमएसटीसी अधिकारियों का विवरण
<b>श्री तन्मय सरकार, उप प्रबंधक</b> <b>एमओबी नंबर- 8349894664</b> <b>ईमेल आईडी- <a href="mailto:tsarkar@mstcindia.co.in">tsarkar@mstcindia.co.in</a></b>


**संपर्क व्यक्ति (आरबीआई, नागपुर):**

- i) सुश्री नीलम कदम, सहायक प्रबंधक, [npkadam@rbi.org.in](mailto:npkadam@rbi.org.in), 0712-2806323
- ii) श्री पीयूष डी. तेलरंधे, स.म.प्र - [pdtelrandhe@rbi.org.in](mailto:pdtelrandhe@rbi.org.in) संपर्क नंबर 0712-2806310
- iii) श्री जीबी नंदनवार, स.म.प्र. - [gbnandanwar@rbi.org.in](mailto:gbnandanwar@rbi.org.in) संपर्क नंबर 0712-2806421

## 2. सिस्टम आवश्यकताएँ:

विवरण के लिए, वेंडर उपलब्ध डाउनलोड सिस्टम सेटिंग गाइड का उल्लेख कर सकते हैं <https://www.mstcecommerce.com/eprocn/>





- (i) विंडोज एक्सपी-एसपी 3 और ऊपर/विंडोज 7/8/10 ऑपरेटिंग सिस्टम
  - (ii) आईई-7 और इसके ऊपर का इंटरनेट ब्राउजर
  - (iii) साइनिंग टाइप डिजिटल सिग्नेचर
  - (iv) जेआरई 7 अपडेट 9 और इसके बाद के सॉफ्टवेयर को सिस्टम में डाउनलोड और स्थापित किया जाना है
  - (v) डीएससी के लिए "संरक्षित मोड" को हस्ताक्षरकर्ता बॉक्स में प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित सेटिंग्स लागू की जा सकती हैं।  
 टूल्स => इंटरनेट विकल्प => सुरक्षा => संरक्षित मोड अक्षम करें यदि सक्षम है- अर्थात, "संरक्षित मोड सक्षम करें" का उल्लेख करते हुए टिक बॉक्स से टिक हटाएँ।  
 अन्य सेटिंग्स: टूल्स => इंटरनेट विकल्प => सामान्य => "ब्राउज़िंग हिस्ट्री / ब्राउज़िंग हिस्ट्री हटाएं" = > अस्थायी इंटरनेट फ़ाइलें => सक्रिय करें "हर बार जब मैं वेबपेज पर जाता हूँ"।
  - (vi) सभी सक्रिय X नियंत्रणों को सक्षम करने और टूल्स → इंटरनेट विकल्प → कस्टम स्तर के तहत 'पॉप अप ब्लॉकर का उपयोग करें' को अक्षम करने के लिए (कृपया पृष्ठ से [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) एक बार IE सेटिंग्स चलाएँ)
- अधिक जानकारी के लिए, वेंडर वेंडर गाइड और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न को पढ़ सकता है जो यहां उपलब्ध [www.mstcecommerce.com/eprochome](http://www.mstcecommerce.com/eprochome)

1. **लेनदेन शुल्क के प्रति विशेष नोट:** वेंडर अपने लॉगिन के माध्यम से "बिड फ्लोर" में विशिष्ट निविदा पर "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करेंगे/"इवेंट कैटलॉग" में "लेनदेन शुल्क का भुगतान करें"। सेवा प्रदाता / ठेकेदार / वेंडर के पास एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, सेवा प्रदाता/ठेकेदार/वेंडर एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा। सेवा प्रदाता/ठेकेदार/वेंडर चालान पर मुद्रित विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि में कोई परिवर्तन किए बिना विप्रेषित करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, सेवा प्रदाता/ठेकेदार/वेंडर के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एक बार जब भुगतान एमएसटीसी के नामित बैंक खाते में जमा हो जाता है, तो लेनदेन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा।

**लेनदेन शुल्क वापसी योग्य नहीं है।** एक वेंडर के पास लेनदेन शुल्क के भुगतान के बिना ऑनलाइन ई-निविदा का एक्सेस नहीं होगा।

**नोट:** बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे इवेंट के समापन समय से पहले अग्रिम रूप से लेनदेन शुल्क को अच्छी तरह से प्रेषित करें ताकि बोली प्रस्तुत करने के लिए खुद को पर्याप्त समय दिया जा सके।

2. निविदा को अंतिम रूप दिए जाने तक प्रक्रिया के दौरान ही निविदाओं/शुद्धिपत्रों के बारे में सूचना ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए वेंडरों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एमएसटीसी लिमिटेड के साथ वेंडर के पंजीकरण के समय प्रदान किया गया उनका कॉर्पोरेट ईमेल आईडी वैध और अद्यतन है। वेंडरों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) के अपने तृतीय श्रेणी के हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार की वैधता सुनिश्चित करें।
3. एनआईटी (निविदा आमंत्रित करने की सूचना) में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा तक नहीं पहुंचा जा सकता है।

#### 4 ई-निविदा में बोली:

नोट: वेंडरों को दस्तावेज़ लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए मेरा मेनू में **दस्तावेज़ अपलोड करें** **लिंक** का उपयोग करने का निर्देश दिया जाता है। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड के लिए एकल दस्तावेज़ का अधिकतम आकार 5 एमबी है।

एक बार लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड हो जाने के बाद, वेंडर विशेष **ई-निविदा के खिलाफ** अटैच डॉक्यूमेंट लिंक के माध्यम से दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यदि दस्तावेज़ किसी ई-निविदा के साथ संलग्न नहीं हैं, तो उन्हें आरबीआई द्वारा डाउनलोड नहीं किया जा सकता है और यह माना जाएगा कि वेंडर ने दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए हैं। अधिक सहायता के लिए कृपया वेंडर गाइड के निर्देशों का पालन करें।

अ) बोलीदाता (ओं) को ई-निविदा के लिए आवश्यक ईएमडी, **ई-निविदा शुल्क** (यदि कोई हो) और लेनदेन शुल्क अलग से **प्रस्तुत करने की आवश्यकता है**। लेनदेन शुल्क, यदि कोई हो, **वापसी योग्य नहीं है**। असफल बोलीदाता(ओं) की ईएमडी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वापस कर दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

आ) इस प्रक्रिया में तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली लगाना शामिल है।

जिन बोलीदाताओं ने उपर्युक्त शुल्क प्रस्तुत किया है, वे एमएसटीसी की वेबसाइट **www.MSTC** में इंटरनेट के माध्यम से केवल अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियां और मूल्य बोली प्रस्तुत कर सकते हैं। [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) → ई-प्रोक्योरमेंट → न्यू कॉमन पोर्टल → बिड फ्लोर मैनेजर → लाइव इवेंट → **लाइव इवेंट का चयन** → लेनदेन शुल्क-> सामान्य शर्तें-> अटैच डॉक्यूमेंट्स-> प्राइस बिड।

कृपया ध्यान दें: लेनदेन शुल्क और ईएमडी विवरण के सफल विप्रेषण के बाद वेंडर, संलग्न दस्तावेजों और सामान्य शर्तों को अपने लॉगिन में सक्षम कर देगा। इस चरण के सफल समापन के बाद, वेंडरों को लॉट विशिष्ट शर्तों को सहेजने और पोर्टल के माध्यम से लॉट के लिए अपनी मूल्य बोली जमा करने या मूल्य बोलियां जमा करने के लिए एक्सेल फ़ाइल डाउनलोड और अपलोड करने की अनुमति दी जाएगी, जैसा भी मामला हो। यदि अटैच दस्तावेज़ और/या सामान्य शर्तों को सहेजने का चरण असफल होता है, तो

विशिष्ट शर्तों को सहेजेने के लॉट और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए टैब अक्षम कर दिए जाएंगे। यह सफल/लंबित है या नहीं, इसकी स्थिति बोली स्थिति बटन में प्रदर्शित की जाएगी।

इ) सबसे पहले, वेंडर को वाणिज्यिक विनिर्देश भरने की आवश्यकता है, यदि कोई हो, और इसे सहेजें। फिर वेंडर को तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरनी चाहिए। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरने के बाद, बोलीदाता को अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली रिकॉर्ड करने के लिए 'सहेजें' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा करने के बाद, मूल्य बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और उसे भरना होता है और फिर बोली लगाने वाले को अपनी मूल्य बोली रिकॉर्ड करने के लिए "सेव" पर क्लिक करना चाहिए। फिर एक बार तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली दोनों सहेजे जाने के बाद, बोलीदाता अपनी बोली दर्ज करने के लिए "अंतिम सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है

**नोट:** - अंतिम सबमिशन पर क्लिक करने के बाद "डिलीट बिड" विकल्प दिखाया जाएगा। यदि वेंडर अंतिम सबमिशन के बाद बोली को हटाना चाहता है और बोली को फिर से जमा करना चाहता है, तो उसे डिलीट बिड पर क्लिक करना चाहिए और उसे फिर से सबमिट करना चाहिए और फिर से फाइनल सबमिशन पर क्लिक करना चाहिए।

ई) सभी मामलों में, बोलीदाता को अपनी बोली प्रस्तुत करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।

उ) पूरी ई-निविदा **प्रक्रिया के दौरान**, बोलीदाता एक-दूसरे के लिए और बाकी सभी के लिए पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे।

ऊ) ई-निविदा **फ्लोर पूर्व-घोषित तिथि और समय से और ऊपर उल्लिखित अवधि तक के लिए खुला रहेगा।**

ऋ) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां बोली लगाने वाले पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित वैध बोली के रूप में माना जाएगा और खरीदार द्वारा इसे स्वीकार करने से आपूर्ति/कार्य के निष्पादन के लिए खरीदार और बोलीदाता के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध बन जाएगा। ऐसे सफल निविदाकर्ता को इसके बाद **आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार कहा जाएगा।**

- ल) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां तृतीय श्रेणी के हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं अन्यथा सिस्टम द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- ऐ) खरीदार बिना कोई कारण बताए निविदा को रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या पूर्ण या आंशिक रूप से विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जैसा कि मामला हो सकता है।
- ऐ) ई-निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों में कोई फेरबदल स्वीकार्य नहीं है। किसी भी बोलीदाता द्वारा ई-निविदा फ्लोर में बोली प्रस्तुत करना ई-निविदा के लिए नियमों और शर्तों की स्वीकृति की पुष्टि करता है।
- ए) माप की इकाई (यूओएम) ई-निविदा फ्लोर में इंगित की गई है। **उद्धृत की जाने वाली दर ई-निविदा फ्लोर /निविदा दस्तावेज में दर्शाए गए यूओएम के अनुसार भारतीय रुपये में होनी चाहिए।**

### **पात्रता मानदंड (पूर्व-योग्यता मानदंड)**

**1.** न्यूनतम पांच कॉफी/चाय वेंडिंग मशीनों की स्थापना और रखरखाव का कार्य करने और बैंक के परिसर में कॉफी/चाय के लिए आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति के लिए निविदाकर्ताओं द्वारा पूरी **की जाने वाली पात्रता शर्तें** (स्थान: भारतीय रिज़र्व बैंक, मुख्य कार्यालय भवन और अतिरिक्त कार्यालय भवन, सिविल लाइन्स, नागपुर – 440 001) नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

अ. इच्छुक आवेदक को नागपुर में स्थित कम से कम 2-3 सरकारी विभागों/सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के संस्थानों/बैंकों को समान प्रकृति का कार्य करने और सेवाएं प्रदान करने का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव रखने वाली कंपनी/फर्म होना चाहिए। निविदाकर्ता का कार्यालय/फ्रेंचाइजी कार्यालय होना चाहिए और यह नागपुर में स्थापित होना चाहिए जो इस निविदा के तहत किए गए कार्य के निर्वहन के लिए पर्याप्त होना चाहिए।

आ. इसके अलावा, इच्छुक निविदाकर्ता ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान इसी तरह के कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादित किया होगा:

इ. तीन कार्य जिनकी लागत 26 लाख रुपये की अनुमानित लागत के 40% के समान नहीं है

या

दो कार्य जिनकी लागत 26 लाख रुपये की अनुमानित लागत के 50% के समान नहीं है

या

एक कार्य जिसकी लागत ₹26 की अनुमानित लागत के 80% के समान राशि से कम नहीं है

लाख

**2. निविदाकार निम्नलिखित प्रभावों के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित अपने लेटर हेड पर तकनीकी बोली के साथ अनुबंध III के अनुसार एक घोषणा प्रस्तुत/अपलोड करेगा:**

- अ. निविदाकर्ता का ट्रैक रिकॉर्ड साफ है, और यह किसी भी अवैध गतिविधियों या वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल नहीं है;
- आ. असंतोषजनक निष्पादन के कारण संविदा अवधि के दौरान किसी संगठन द्वारा विगत में निविदाकर्ता की संविदा समाप्त नहीं की गई थी और
- इ. निविदाकार को लागू कानूनों के उल्लंघन या नियामक निर्देशों के उल्लंघन या करार के उल्लंघन या किसी भी कारण से किसी भी सरकारी संगठन / बैंक / किसी अन्य संस्था द्वारा नकारात्मक सूची में नहीं रखा गया है।

**3. इच्छुक आवेदक को समग्र (एचआरएमडी), समग्र (ओएलडीआर), और समग्र (संपदा) वाली समिति द्वारा किए जाने वाले परिसर दौरे के अनुसार बैंक की आवश्यकता को पूरा करना होगा। समिति इच्छुक आवेदकों के परिसर का स्थल दौरा करेगी, जिन्हें नीचे उल्लिखित मूल्यांकन मानदंड मैट्रिक्स में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार आवश्यक पात्रता रखने के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के साथ बैंक की आवश्यकता (समिति की टिप्पणियों द्वारा यथानिर्णीत) का पालन सुनिश्चित करना होगा और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में, बैंक उनके आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। सभी वेंडरों का मूल्यांकन मूल्यांकन प्रत्येक मूल्यांकन मानदंड के लिए इंगित किए गए अंकों के अनुसार किया जाएगा और केवल उन वेंडरों की बोलियों का मूल्यांकन किया जाएगा जो 60% स्कोर करते हैं (अर्थात् कुल 40 अंकों में से कम से कम 24 अंक प्राप्त करते हैं) या अधिक अंकों पर आगे के मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा।**

क्रमांक	मापदंड	अंक विश्लेषण
I	टर्नओवर (अधिकतम अंक: 5) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए वार्षिक औसत कुल कारोबार (कॉफी/चाय वेंडिंग मशीन की स्थापना और रखरखाव के कार्य के लिए) -	वार्षिक औसत के बीच कुल कारोबार 20 लाख से 25 लाख – 2 अंक, 25 लाख से 30 लाख – 3.5 अंक, 30 लाख से अधिक - 5 अंक
II	अनुभव (अधिकतम अंक: 5) कॉफी/चाय वेंडिंग मशीन की स्थापना और रखरखाव का कार्य करने और सरकारी विभागों/सार्वजनिक/प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र के संस्थानों को सेवाएं प्रदान करने में वर्षों का अनुभव	के बीच प्रासंगिक कार्य अनुभव 5-7 साल – 2 अंक, 7-10 वर्ष – 3.5 अंक, 10 वर्ष से अधिक – 5 अंक

III	मौजूदा ग्राहकों से फीडबैक । (अधिकतम अंक: 5)	कोई फीडबैक / असंतोषजनक नहीं – 0, संतोषजनक – 3, उत्कृष्ट – 5 अंक
IV	तकनीकी मूल्यांकन – (अधिकतम अंक: 25)	
	मशीन में प्रदान की जाने वाली सुविधाएं	अधिकतम अंक: 8
	उपभोग्य सामग्रियों/कच्चे माल की गुणवत्ता	अधिकतम अंक: 7
	स्थापित मशीनों की सफाई	अधिकतम अंक: 5
	कर्मचारी - टर्नआउट, उपस्थिति, स्वच्छता, शिष्टाचार, कार्यों को करने में आसानी आदि।	अधिकतम अंक: 5

साइट विजिट के लिए अंक देने में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और निविदाकर्ताओं पर बाध्यकारी होगा।

**4.** बैंक उन बोलीदाताओं को सूचित करेगा जिनके प्रस्ताव न्यूनतम अर्हक बिंदुओं को पूरा नहीं किए थे या निविदा शर्तों के प्रति गैर-जवाबी माने गए थे। बैंक न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने वाले बोलीदाताओं को भी मूल्य बोलियां खोलने के लिए निर्धारित तिथि और समय दर्शाते हुए सूचित करेगा. अधिसूचना इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा भेजी जा सकती है। अन्य स्थानों पर कार्य/इसी प्रकार के अनुबंध के संबंध में दावे को सत्यापित करने के लिए, बैंक संबंधित निकायों से जानकारी/रिपोर्ट मांग सकता है।

**5.** मूल्यांकन समिति के सदस्य, जिसमें समग्र (ओएलडीआर), समग्र (एचआरएमडी), और समग्र (एस्टेट) शामिल हैं, मौजूदा अनुबंध सुविधाओं और कार्यालय या बोलीदाताओं के किसी अन्य प्रतिष्ठान की गुणवत्ता और अन्य पहलुओं का आकलन करने के लिए साइट का दौरा कर सकते हैं। ऐसे स्थानों की एक सूची यानी नागपुर और अन्य स्थानों में बोलीदाता के ग्राहकों और कार्यालयों / प्रतिष्ठानों का पूरा पता विवरण के साथ-साथ संपर्क व्यक्ति के संपर्क विवरण प्रदान किए जाने चाहिए।

### **अनुदेश और अन्य नियम और शर्तें**

1. तकनीकी या वित्तीय बोलियों में निविदाकर्ता द्वारा कोई फेरबदल/शर्तों का निर्धारण नहीं किया जाएगा । सशर्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी और तुरंत खारिज कर दी जाएंगी।
2. कीमतों के साथ इसके निविदा के भाग । के खुलने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए शुरू में वैध रहेगी, जिसे लिखित रूप में आपसी करार द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है और निविदाकर्ता इस अवधि के दौरान निविदा को रद्द या वापस नहीं लेगा।

3. सूचना की गलत जानकारी /छिपाव से कार्य सौंपे जाने के बाद भी/संविदा की अवधि के दौरान निविदाकर्ता को अयोग्य घोषित किया जाएगा/संविदा रद्द की जाएगी।
4. प्रत्येक निविदाकर्ता (भागीदारी फर्म/संयुक्त उद्यम/कंसोर्टियम के मामले में प्रत्येक सदस्य) को बोली के साथ पुष्टि और घोषणा करनी होती है (संलग्न अनुबंध-III के अनुसार) कि इस संविदा के अधिनिर्णय और निष्पादन से संबंधित कोई भी सेवाएं, या कोई अन्य मद या कार्य प्रदान करने के लिए किसी एजेंट, बिचौलिया या किसी मध्यस्थ को नहीं लगाया गया है और न ही लगाया जाएगा। उन्हें आगे पुष्टि करनी होगी और घोषणा करनी होगी कि कोई भी एजेंसी कमीशन या कोई भुगतान जिसे एजेंसी कमीशन के रूप में नहीं माना जा सकता है, का भुगतान किया गया है या किया जाएगा और निविदा मूल्य में ऐसी कोई राशि शामिल नहीं होगी। यदि बैंक बाद में इसके विपरीत पाता है, तो यह निविदाकर्ता को गैर-अनुपालन के रूप में घोषित करने और संविदा, यदि पहले से ही निविदाकर्ता को दी गई है, को अकृत और शून्य घोषित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
5. बोली की स्वीकृति को प्रभावित करने की दृष्टि से किसी व्यक्ति द्वारा प्रचार करना या लाभ की पेशकश करना या कोई अन्य प्रलोभन देना उस मामले में लागू संगत कानूनों के अंतर्गत अपराध होगा। इस तरह की कार्रवाई के परिणामस्वरूप अन्य दंडात्मक उपायों के अलावा, बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी।
6. *निविदाकर्ता अनुबंध IV और V के अनुसार बैंकों और ग्राहकों (पिछले प्रदर्शन के बारे में) से रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। निविदा के भाग-II को खोलने से पहले बैंक उक्त रिपोर्टों का मूल्यांकन करेगा*  
, यदि किसी भी निविदाकर्ता के पास किसी भी समय निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपेक्षित पात्रता नहीं पाई जाती है और/या निविदाकर्ता द्वारा अपने ग्राहकों और/या उसके बैंकों की रिपोर्ट से प्रस्तुत प्रदर्शन रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो बैंक निविदा के भाग-II के खुलने के बाद भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसे निविदाकर्ताओं की निविदा का भाग-II नहीं खोला जाएगा और ईएमडी को यथावत लौटा दिया जाएगा। बैंक ऐसा करने के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।
7. रिज़र्व बैंक सबसे कम निविदा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।



8. यदि निविदाकर्ता को निविदा दस्तावेज में निहित किसी बात के अर्थ के बारे में कोई संदेह है , तो वह बोली प्रस्तुत करने के लिए अंतिम दिन से दस दिन पहले उप महाप्रबंधक, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग (एचआरएमडी) के कार्यालय से स्पष्टीकरण मांगेगा। निविदाकर्ता और एचआरएमडी के बीच सभी संचार लिखित रूप में किए जाएंगे। बैंक द्वारा ऐसे किसी भी लिखित स्पष्टीकरण को छोड़कर, जिसे स्पष्ट रूप से उप महाप्रबंधक, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग के कार्यालय द्वारा जारी निविदा दस्तावेज का परिशिष्ट कहा गया है, बैंक के किसी अन्य कर्मचारी द्वारा कोई लिखित या मौखिक संचार, प्रस्तुति या स्पष्टीकरण अनुबंध के तहत बैंक को बाध्य या बाधित करने के लिए नहीं लिया जाएगा।
9. इच्छुक निविदाकर्ताओं को निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय तक या उससे पहले अपनी निविदा के साथ उपरोक्त सभी विवरण प्रस्तुत करने होंगे।
10. ऊपर उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत न की गई निविदाएं अस्वीकृत की जा सकती हैं। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

### **बोली-पूर्व बैठक**

01 अगस्त, 2025 को सुबह 11:30 बजे आरबीआई, नागपुर में बोली-पूर्व बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें बोलीदाताओं के कार्य/निविदा के संबंध में किसी भी प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा/स्पष्टीकरण प्रदान किया जाएगा और उन्हें उसी के बारे में प्रासंगिक जानकारी दी जाएगी। इस बैठक के लिए अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी। निविदाकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे इस बैठक के दौरान सभी मुद्दों/शंकाओं का समाधान कर लें।

### **बयाना जमा राशि (EMD)**

बोलीदाता 18 अगस्त, 2025 को या उससे पहले भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर के पक्ष में एनईएफटी/डीडी द्वारा ₹32,000/- (बत्तीस हजार रुपये केवल) का ईएमडी जमा करेंगे।

लाभार्थी का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर
आईएफएससी	RBISONGPA01 (5वां और 10वां अंक शून्य है)
खाता संख्या	8714295

### **प्रदर्शन बैंक गारंटी**

सफल वेंडर कार्य अवार्ड होने की तारीख के दो सप्ताह के भीतर अनुबंध के उचित प्रदर्शन के लिए आवश्यक मूल्य के स्टाम्प पेपर पर एक करार को निष्पादित करेगा। यदि चयनित वेंडर अनुबंध प्रदान करने पर उपरोक्तानुसार औपचारिक करार पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है तो उसके द्वारा की गई ईएमडी जप्त कर ली जाएगी। सफल निविदाकर्ता को ठेका प्रदान किए जाने के 15 दिनों के भीतर ठेका की अवधि के बाद छह माह आगे के लिए 80,000/- रुपये (अस्सी हजार रुपये मात्र) की निष्पादन बैंक गारंटी प्रदान करनी होगी। कर्तव्यों का पालन करने के लिए वेंडर की ओर से विफलता के मामले में गारंटी को तलब किया जाएगा।

## खंड II

### कार्य का दायरा और अनुबंध संचालन हेतु नियम और शर्तें

निविदा प्रस्तुत करने से पहले, निविदाकर्ता उन नियमों और शर्तों को पढ़ सकता है जिनके अनुसार बैंक द्वारा कार्य सौंपा जाएगा और जिसे सफल निविदाकर्ता द्वारा निष्पादित किया जाना आवश्यक है। निविदाकर्ता विनिर्दिष्ट पात्रता और अन्य मानदंडों के अनुसार स्वयं को संतुष्ट कर सकते हैं। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि नियम और शर्तें प्रकृति में सांकेतिक हैं और यह बैंक को इस तरह के आगे या अन्य नियमों और शर्तों पर सहमत होने के लिए निविदाकर्ता को लागू करने या आवश्यक बनाने, या उन नियमों और शर्तों को बदलने, संशोधित करने या छोड़ने हेतु रोक नहीं लगाएगा, जैसा कि इस निविदा के तहत दिए जा रहे कार्य के उचित और उचित निष्पादन के लिए आवश्यक होगा। झूठी या अपर्याप्त जानकारी वाले आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है। क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदा बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ऐसा निर्णय सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

1. अनुबंध, यदि प्रदान किया जाता है, तो शुरू में 01 सितंबर, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक सात महीने की अवधि के लिए वैध होगा। बैंक पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर दो साल (एक बार में एक वर्ष) तक की अवधि के लिए अनुबंध की अवधि का विस्तार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक इस अनुबंध के व्यापक ढांचे के भीतर पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर नागपुर में स्थित बैंक के परिसर में अतिरिक्त बिंदुओं पर कॉफी/चाय वेंडिंग मशीनों की स्थापना और रखरखाव और पेय पदार्थों की आपूर्ति के लिए इस अनुबंध के दायरे का विस्तार करने का निर्णय ले सकता है।
2. सफल निविदाकर्ता बैंक परिसर के भीतर बैंक द्वारा पहचाने गए स्थानों पर किराए पर मशीनें (न्यूनतम 5, मांग के आधार पर भिन्न हो सकती है) मशीनें स्थापित करेगा (एमओबी - 3 और एओबी - 2 पर मशीनों की वर्तमान आवश्यकता) और मशीनों के संचालन और रखरखाव के लिए तीन कर्मचारियों (एमओबी में 1 व्यक्ति और एओबी में 2) की व्यवस्था करेगा।
3. व्यक्ति/ठेकेदार सेवा, समस्या निवारण आदि से संबंधित सभी मुद्दों के लिए एजीएम-कैटरिंग के साथ समन्वय करेंगे।
4. आपूर्तिकर्ता निरंतर सेवा प्रदान करने के लिए कर्मचारी प्रदान करेगा और किसी भी कार्मिक की अनुपस्थिति में, एक उपयुक्त विकल्प तैनात किया जाएगा। बैंक आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा, और न्यूनतम मजदूरी (3 कर्मचारियों के लिए) के भुगतान की प्रतिपूर्ति बैंक द्वारा केवल वास्तविक आधार पर वैधानिक दरों के अनुसार भुगतान के प्रमाण के प्रस्तुत करने पर की जाएगी। यदि किसी वेंडर या श्रमिक श्रेणी के लिए कोई सांविधिक भुगतान लागू नहीं होता है तो उसकी प्रतिभूत नहीं की जाएगी, भले ही वह मूल्य बोली में उद्धृत किया गया हो। ठेकेदार तैनात कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान करेगा, और फिर आरबीआई नागपुर को 3 कर्मचारियों के लिए एक बिल

(जीएसटी सहित) देगा और भुगतान के लिए अगले महीने के दूसरे सप्ताह तक समग्र (ओएलडीआर) के माध्यम से विधिवत प्रमाणित बिल वेलफेयर डेस्क को जमा करेगा। बैंक बिल जमा करने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर केवल एनईएफटी/आरटीजीएस चैनल के माध्यम से ठेकेदार को भुगतान जारी करेगा। बिल सभी तरह से पूर्ण होना चाहिए और नीचे दिए गए विवरण के अनुसार दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए:

- अ. महीने के लिए चालान की प्रति
- आ. महीने के लिए परिचित (मजदूरी) रजिस्टर, संविदा श्रमिकों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित
- इ. महीने का उपस्थिति रजिस्टर
- ई. ईएसआई और ईपीएफ प्रेषण चालान (यदि लागू हो)

5. सफल निविदाकर्ता द्वारा प्राप्त भुगतान के संबंध में कोई भी आपत्ति भुगतान की तारीख के 10 दिनों के भीतर बैंक के ध्यान में लाई जा सकती है। यदि निर्धारित अवधि के भीतर ऐसी कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि भुगतान के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।
6. आपूर्ति एजेंसी का एक स्थानीय प्रतिनिधि पूरे अनुबंध का प्रभारी होगा और अनुबंध के तहत सेवाओं के कुशल प्रतिपादन और एजीएम-कैटरिंग के साथ चल रहे समन्वय के लिए जिम्मेदार होगा।
7. वेंडिंग मशीन के बिंदु पर कर्मचारियों को पेय पदार्थ दिया जाएगा।
8. आपूर्ति के लिए बिलों को समर्थन दस्तावेजों के साथ मासिक आधार पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, अगले महीने की 10 तारीख तक और बिल के सही होने की शर्त पर, भुगतान आम तौर पर सात (07) कार्य दिवसों के समय के भीतर किया जाएगा, स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए लिया गया समय को ध्यान में रखकर यदि कोई हो, बिल में वेंडर से। बिल के भुगतान में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।
9. यह ध्यान दिया जा सकता है कि बैंक वित्तीय बोली में उल्लिखित वस्तुओं की वास्तविक खपत की सीमा तक बिलों का भुगतान करेगा और लागू होने वाले तीनों कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी के साथ स्थापित मशीनों के किराये के शुल्क का भुगतान करेगा।

**10. समय:**

स्थान	मशीनों की संख्या	ऑपरेटर का समय
एमओबी	3	10:00 बजे प्रातः से 5:45 शाम तक
एओबी	2	सुबह 7:00 ते दोपहर 2:00 पर्यंत

		दोपहर 2:00 बजे से रात 9:00 बजे तक
--	--	-----------------------------------

१. उपर्युक्त सुविधा सभी कार्य दिवसों और बैंक द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अन्य दिन उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
२. बैंक के अतिरिक्त कार्यालय भवन (एओबी) में कार्य शिफ्टों में किए जाते हैं, इसलिए यह ध्यान दिया जा सकता है कि एओबी में मशीन ऑपरेटर को ऊपर उल्लिखित समय के अनुसार दो शिफ्टों में काम करना आवश्यक है।

11. दी जाने वाली कॉफी/चाय की मात्रा **100 मिलीलीटर प्रति कप होगी।**
12. कोटेशन में पेश किए गए टी बैग, रोस्टेड कॉफी बीन्स (अरेबिका), कप, स्टिरर आदि की सभी किस्मों के पर्याप्त स्टॉक को वेंडर द्वारा बनाए रखा और आपूर्ति की जाएगी।
13. पेय पदार्थ 150 मिलीलीटर पेपर कप में दिया जाएगा। ये कप और लकड़ी के स्टिरर **वेंडर** द्वारा प्रदान किए जाएंगे और अच्छी ब्रांडेड गुणवत्ता के होंगे।
14. तैनात कर्मचारी स्थापित मशीनों को प्रतिदिन साफ करेंगे। मशीनों का निवारक रखरखाव वेंडर द्वारा अपनी लागत पर साप्ताहिक आधार पर किया जाएगा। वेंडर यह सुनिश्चित करेगा कि मशीनों को नियमित रूप से साफ किया जाए, और स्वच्छता मानकों को बनाए रखा जाए। वेंडर मशीनों के निर्बाध कामकाज को सुनिश्चित करेगा।
15. वेंडर के कर्मचारी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखेंगे।
16. वेंडर अपने मैनपावर (इस उद्देश्य के लिए तैनात किए जाने वाले) के लिए चिकित्सा जांच करवाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि ऑपरेटिंग वेंडिंग मशीन में तैनात कर्मियों किसी भी संक्रामक या संचारी रोगों से मुक्त हैं और उनकी नियमित स्वास्थ्य जांच (वर्ष में दो बार) की व्यवस्था करेगा। स्वास्थ्य जांच की लागत एजेंसी द्वारा वहन की जाएगी। इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य बैंक को प्रस्तुत किए जाएंगे।
  - (अ) नए कर्मचारी के काम शुरू करने के पंद्रह दिनों के भीतर।
  - (आ) अर्धवार्षिक जांच के पंद्रह दिनों के भीतर।
17. बैंक वेंडिंग मशीनों की स्थापना और संचालन के लिए और क्रॉकरी और सफाई सामग्री के भंडारण के लिए पानी, स्थान, बिजली के बिंदु प्रदान करेगा।
18. बैंक वेंडर को देय राशि से समय-समय पर लागू स्रोत पर कर और अन्य सभी करों, शुल्कों की कटौती करेगा।

19. वेंडर के साथ व्यवस्था उसके दिवालियापन के मामले में समाप्त हो जाएगी।
20. वेंडर बैंक के सभी कार्य दिवसों पर निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। सेवा में कमी की स्थिति में, बैंक 30 दिनों की सूचना पर वेंडर के साथ व्यवस्था को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
21. बैंक बिना कोई कारण बताए 30 दिनों का नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।
22. वेंडर भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर के परिसर में अपने द्वारा लगाए जाने वाले अपने श्रमिकों की हाल की तस्वीर के साथ नाम, आवासीय पता, आयु आदि जैसे विवरण प्रस्तुत करेगा। कार्य के लिए तैनात वेंडर के कर्मचारियों की उचित पहचान के उद्देश्य से, यह उनकी तस्वीरों/पहचान आदि के साथ पहचान पत्र जारी करेगा और ऐसे कर्मचारियों को बैंक के परिसर में उनकी उपस्थिति के दौरान हर समय अपने पहचान पत्र प्रदर्शित करने होंगे।
23. वेंडर के पास अपने कर्मचारियों (इस उद्देश्य के लिए तैनात किए जाने वाले) का पुलिस सत्यापन करने की एक प्रक्रिया होगी और वह उनके आचरण/अनियमित व्यवहार के लिए जिम्मेदार होगा। पुलिस सत्यापन रिपोर्ट की एक प्रति काम शुरू होने या भारतीय रिज़र्व बैंक परिसर में नई मैनपावर की नियुक्ति के एक महीने के भीतर एचआरएमडी, नागपुर को प्रस्तुत की जाएगी।
24. ऊपर उल्लिखित सेवाओं के लिए वेंडर द्वारा नियोजित व्यक्ति सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए वेंडर के कर्मचारी होंगे और यह कि इस प्रकार तैनात व्यक्ति वेंडर के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में रहेंगे और किसी भी स्थिति में, उक्त व्यक्तियों और आरबीआई, नागपुर के बीच नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं होगा, अप्रत्यक्ष रूप से या स्पष्ट रूप से उपार्जित / यह सुनिश्चित करना वेंडर की जिम्मेदारी होगी कि इस संबंध में कोई दायित्व भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर को किसी भी रूप में अंतरित नहीं होना चाहिए। वेंडर तैनात व्यक्तियों से एक घोषणा प्राप्त करेगा कि उसने इसे समझ लिया है और यह भी वचन दिया है कि वे आरबीआई, नागपुर के खिलाफ ऐसा कोई दावा नहीं करेंगे या नहीं करेंगे और बैंक को घोषणा और वचन पत्र प्रस्तुत करेंगे।
25. यदि वेंडर द्वारा इस प्रकार तैनात किया गया कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का उचित रूप से पालन नहीं करता है या कदाचार करता है या किसी गैरकानूनी कार्य या अव्यवस्थित आचरण में लिप्त होता है, तो वेंडर ऐसे व्यक्ति(व्यक्तियों) को तुरंत वापस ले लेगा और इस संबंध में आरबीआई, नागपुर की रिपोर्ट पर ऐसे व्यक्ति(व्यक्तियों) के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करेगा। इसके अलावा, वेंडर आरबीआई, नागपुर से किसी भी मांग के बिना भी ऐसे व्यक्तियों को तुरंत बदल देगा।
26. वेंडर अपनी ओर से या अपने कर्मचारियों/एजेंटों की ओर से बैंक के लोगों और/या संपत्ति को किसी कार्य या चूक के कारण होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए जिम्मेदार होगा और उसकी भरपाई करेगा।

27. वेंडर द्वारा प्रस्तुत निष्पादन बैंक गारंटी का उपयोग वेंडर के असंतोषजनक निष्पादन और/अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर द्वारा तैनात कामगारों की विफलता या लापरवाही अथवा वेंडर द्वारा करार के उल्लंघन की स्थिति में हुई हानि/क्षति, यदि कोई हो, की स्थिति में किया जाएगा।
28. **दंड:** यदि सेवा/प्रदर्शन में कोई कमी पाई जाती है या उपयोग की जाने वाली उपभोग्य सामग्रियों की गुणवत्ता, मशीन के खराब या गैर-रखरखाव, तैनात ऑपरेटर की अनुपलब्धता या किसी भी समान मुद्दों के बारे में शिकायत के मामले में, तो बैंक अनुलग्नक VIII के अनुसार जुर्माना लगा सकता है। जुर्माने की राशि मासिक बिल भुगतान अथवा निष्पादन बैंक गारंटी से वसूल की जा सकती है। यदि प्रदर्शन में बार-बार शिकायतें / चूक पाई जाती हैं तो बैंक लिखित में 30 दिनों का नोटिस देकर समझौते को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, हालांकि, ठेकेदार नोटिस अवधि के दौरान अपने दायित्वों का निर्वहन करना जारी रखेगा जब तक कि बैंक द्वारा समाप्त नहीं किया जाता है।
29. ठेकेदार ठेके को सबलेट नहीं करेगा। इस संबंध में किसी भी उल्लंघन के मामले में, बैंक अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
30. **सांविधिक दायित्व:** वेंडर मजदूरी के भुगतान और मजदूरी के भुगतान से संबंधित कानूनों की आवश्यकताओं और संबंधित प्राधिकारियों को आवधिक विवरणियां प्रस्तुत करने के संबंध में समय-समय पर सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं का अनुपालन करेगा या करवाएगा। वेंडर न्यूनतम मजदूरी और अन्य सभी देयताओं का भुगतान करेगा जो नियोजित व्यक्ति समय-समय पर भारत सरकार, श्रम मंत्रालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और अन्य प्रासंगिक वैधानिक अधिनियमों के प्रावधानों के तहत प्राप्त करने के हकदार हैं और बैंक के परिसर में तैनात व्यक्तियों के लिए न्यूनतम मजदूरी के भुगतान पर मासिक अनुपालन प्रमाण पत्र (भुगतान की गई मजदूरी के विवरण के साथ) प्रस्तुत करेगा। वेंडर इस अनुबंध के तहत मैनपावर को मजदूरी का भुगतान महीने के दौरान कार्य दिवसों की वास्तविक संख्या के अनुसार भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दरों के आधार पर करेगा।
31. वेंडर इस प्रकार तैनात व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मजदूरी आदि का भुगतान करेगा और करार के अंतर्गत कार्य के लिए तैनात व्यक्तियों को सभी देयताओं का भुगतान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर को मजदूरी रजिस्टर/मस्टर रोल आदि की प्रतियां प्रस्तुत करेगा। यह दायित्व वेंडर पर यह सुनिश्चित करने के लिए लगाया जाता है कि वह ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुसार तैनात अपने कर्मचारियों के प्रति प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है। वेंडर अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 के प्रावधानों और सरकार द्वारा समय-समय पर अपने स्वयं के खर्च पर उसके तहत बनाए गए नियमों का पालन करेगा।
32. वेंडर द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 के उपबंधों सहित श्रम कानूनों के किसी उपबंध में चूक करने अथवा उसका उल्लंघन करने अथवा कोई सूचना प्रस्तुत करने अथवा उक्त विनियमों और नियमों के उपबंधों के अंतर्गत भौतिक रूप से गलत

कोई विवरण प्रस्तुत करने अथवा फाइल करने की स्थिति में, यह किसी अन्य दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आरबीआई को एक राशि का भुगतान करेगा, जैसा कि दावा किया जा सकता है।

**33. वेंडर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों का पालन करेगा;** कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923; मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936; कर्मचारी भविष्य निधि (और विविध प्रावधान) अधिनियम, 1952; बोनस भुगतान अधिनियम 1965; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; कर्मचारी दायित्व अधिनियम, 1938; बाल रोजगार अधिनियम 1938; मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 और/या कोई अन्य नियम/विनियम और/या क़ानून जो अपनी लागत पर लागू हो सकते हैं। वेंडर उपर्युक्त विधायी अधिनियमों या किसी अन्य वैधानिक प्रावधानों के प्रावधान के किसी भी उल्लंघन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और आरबीआई, नागपुर को चूक, गलती, उल्लंघनों और/या पूर्वोक्त वैधानिक प्रावधानों के गैर-अनुपालन से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे, मांग, हानि, चोट और व्यय के सभी कृत्यों से क्षतिपूर्ति रखेगा। इसके अंतर्गत और/या उक्त अधिनियमों, नियमों/विनियमों/या इनमें से किसी के तहत बनाए गए किसी उप-नियम या नियमों के तहत किसी भी दायित्व को पूरा करने में वेंडर की विफलता के मामले में, भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर ऐसे किसी भी नुकसान या व्यय की वसूली का हकदार होगा, जिसे उसे ऐसे दावों के कारण भुगतान पड़ सकता है या उठाना पड़ सकता है, (ii) वेंडरों से मासिक भुगतान और निष्पादन बैंक गारंटी के तलब करने, मांग हानि या चोट के कारण हो सकते हैं।

**34. बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 के अनुसार,** वेंडर 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा।

**35. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम:** (क) वेंडर "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और प्रतितोष अधिनियम, 2013)" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत वेंडर द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दायर की जाएगी और वेंडर शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

(ख) वेंडर के किसी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।

(ग) वेंडर किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा जिसे वेंडर के कर्मचारियों के मामले में उसे भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि वेंडर के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है।

(घ) वेंडर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।



(ड) वेंडर कार्य शुरू होने अथवा मैनपावर में परिवर्तन के 7 दिनों के भीतर बैंक परिसर के भीतर तैनात अपने कर्मचारियों की एक पूर्ण और अद्यतन सूची प्रदान करेगा।

36. वेंडर इस प्रकार तैनात अपने कर्मचारियों के किसी भी गैरकानूनी दंगे या अव्यवस्थित आचरण या कृत्यों को रोकने के लिए सभी उचित सावधानी बरतेगा और शांति का संरक्षण और भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर के व्यक्तियों और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
37. वेंडर अनुबंध की समाप्ति पर या अनुबंध की समाप्ति पर आरबीआई, नागपुर के परिसर से उसके द्वारा तैनात सभी श्रमिकों को हटा देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे कोई भी व्यक्ति आरबीआई, नागपुर में स्पष्ट रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का व्यवधान/बाधा/समस्या पैदा नहीं करेगा।
38. वेंडर भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर को वेंडर द्वारा नियोजित कर्मचारियों के संबंध में सभी दावों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति रखेगा। यदि इस प्रकार तैनात वेंडर का कोई कर्मचारी किसी भी प्रकार के विवाद में फंसता है तो उसका विरोध करना वेंडर की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर को पक्षकार बनाया जाता है और उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस मामले के विरुद्ध होगा, तो भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर को वकील शुल्क और अन्य खर्चों के लिए किए गए/किए जाने वाले संभावित वास्तविक व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिसका भुगतान वेंडर द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर को मांग पर अग्रिम रूप से किया जाएगा। इसके अलावा, वेंडर यह सुनिश्चित करेगा कि आरबीआई, नागपुर पर किसी भी संबंध में कोई वित्तीय या कोई अन्य देयता नहीं आती है और इस संबंध में आरबीआई, नागपुर को क्षतिपूर्ति दी जाएगी।
39. वेंडर यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा तैनात व्यक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर के नामित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित गेट पास के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक परिसर से कोई वस्तु/सामग्री बाहर न ले जाएं।
40. **प्रकटीकरण न करना** : वेंडर और उसके कर्मचारी बैंक से संबंधित किसी भी जानकारी को प्रकट नहीं करेंगे, उजागर नहीं करेंगे या किसी प्रयोजन के लिए उसका उपयोग नहीं करेंगे, जिसे उचित रूप से बैंक के निजी या मालिकाना माना जाएगा, जिसके जारी होने से वेंडर द्वारा प्राप्त इससे बैंक को किसी भी प्रकार से हानि होने की युक्तियुक्त रूप से आशा की जा सकती है, बैंक द्वारा अधिकृत या कानून द्वारा आवश्यक को छोड़कर। वेंडर और उसके कर्मचारियों की ओर से यह दायित्व करार की अवधि के दौरान और करार की समाप्ति पर अनिश्चित काल तक लागू होगा।
41. **अप्रत्याशित घटना**: इस दस्तावेज़ में निहित किसी और चीज के बावजूद, कोई भी पक्ष इसके दायित्वों को पूरा करने में किसी भी देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा यदि इस तरह की देरी उसके उचित नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण होती है (बिना किसी सीमा के सरकारों के कृत्यों, भगवान के कृत्यों, प्राकृतिक या सामाजिक आपदाओं, हड़तालों, दंगों के कारण किसी भी देरी सहित, किसी भी क्षेत्र में, नेटवर्क विफलता, आतंकवादी हमला, युद्ध (घोषित और अघोषित)) बशर्ते हालांकि

पार्टी के आपूर्तिकर्ता द्वारा देरी से कोई भी देरी उस पार्टी को उस देरी के लिए दायित्व से मुक्त नहीं करेगी, सिवाय इसके कि ऐसी देरी संबंधित आपूर्तिकर्ता के उचित नियंत्रण से परे हो।

**42. आईएस नीति:** ठेकेदार ने बैंक की सूचना सुरक्षा नीति के दिशानिर्देशों को पढ़ लिया है और इसके द्वारा सहमत है। कंपनी द्वारा बैंक के आईएस नीति दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के किसी भी कार्य के मामले में, बैंक को कानूनी सहारे सहित बैंक द्वारा किए जाने वाले किसी भी अन्य उपाय/कार्रवाई के अलावा, अनुबंध को तुरंत समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

**43. क्षतिपूर्ति खंड:** बोलीदाता भारतीय रिज़र्व बैंक और उसके अधिकारियों, कर्मचारियों, निदेशकों और प्रतिनिधियों को सभी दावों (तृतीय पक्ष के दावों सहित), कार्रवाई, हानियों, क्षतियों, लागतों, व्ययों, प्रभारों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करने और रखने के लिए सहमत है, जिसमें कानूनी व्यय भी शामिल हैं, जो भारतीय रिज़र्व बैंक को बोलीदाता की ओर से चूक के कारण भुगतना पड़ सकता है या उठाना पड़ सकता है:

एक। अनुबंध अवधि के दौरान सरकार या अन्य सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा जारी लागू कानूनों, विनियमों, दिशानिर्देशों का उल्लंघन; या

जन्म। अनुबंध के नियमों और शर्तों का उल्लंघन या कार्य प्रदर्शन; या

ग. बोलीदाता द्वारा किए गए अभ्यावेदन और वारंटी का उल्लंघन; नहीं तो

घ. बोलीदाता द्वारा लापरवाही या कपटपूर्ण कार्य या चूक; या बोलीदाता से संबंधित किसी तीसरे पक्ष से हो।

**44. सत्यनिष्ठा खंड** बोलीदाता निम्नलिखित आधारों पर बोली लगाने से रोकने/निरहता के लिए उत्तरदायी है

१. यदि यह निर्धारित किया जाता है कि बोलीदाता ने अखंडता संहिता के उल्लंघन में निम्नलिखित कार्य या चूक की है।

अ. खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ के बदले में या अन्यथा खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के बदले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वत, इनाम या उपहार या किसी भी भौतिक लाभ की पेशकश, याचना या स्वीकृति।

आ. कोई चूक या गलत बयानी जो गुमराह कर सकती है या गुमराह करने का प्रयास कर सकती है ताकि वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त किया जा सके, या दायित्व से बचा जा सके।

इ. कोई भी मिलीभगत बोली हेराफेरी या प्रतिस्पर्धारोधी व्यवहार जो पारदर्शिता, निष्पक्षता और खरीद प्रक्रिया की प्रगति को बाधित कर सकता है।

- ई. खरीद इकाई द्वारा खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के इरादे से बोलीदाता को प्रदान की गई जानकारी का अनुचित उपयोग या व्यक्तिगत लाभ के लिए।
- उ. निविदा या अनुबंध की निष्पादन प्रक्रिया से संबंधित बोलीदाता और खरीद इकाई के किसी भी अधिकारी के बीच कोई भी वित्तीय या व्यावसायिक लेनदेन: जो खरीद इकाई के निर्णय को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकता है।
- ऊ. खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पार्टी या उसकी संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने के लिए कोई दबाव या कोई धमकी।
- ऋ. खरीद प्रक्रिया की किसी भी जांच या लेखा परीक्षा में बाधा।
- ल. निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए झूठी घोषणा करना या गलत जानकारी प्रदान करना;
- (i) हितों के टकराव का खुलासा करने में विफल रहा।
- (ii) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्था/संस्था के साथ उपखंड (i) के प्रावधानों के संबंध में किए गए किसी भी पिछले उल्लंघन का खुलासा करने में विफल रहा है या किसी भी सार्वजनिक खरीद संस्था/संस्था द्वारा वंचित किया गया है।
२. सत्यनिष्ठा संहिता के उल्लंघन के अलावा बोलीदाता द्वारा की गई किसी कार्रवाई अथवा चूक, जिसके लिए बैंक की राय में घटिया सामग्री की आपूर्ति, सामग्री की आपूर्ति न होना, कार्यों का परित्याग, कार्यों की घटिया गुणवत्ता, निविदा की शर्तों का पालन न करना आदि जैसे कारणों से की जाती है।
३. यदि बोलीदाता को अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है- (क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत; या (बी) भारतीय दंड संहिता या कोई अन्य कानून जो उस समय लागू है, जिससे सार्वजनिक खरीद अनुबंध के निष्पादन के हिस्से के रूप में जीवन या संपत्ति का कोई नुकसान होता है या सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा होता है।
45. बोलीदाता के स्टाफ के किसी भी दावे के प्रति बोलीदाता बैंक को क्षतिपूर्ति भी देगा और बोलीदाता का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने स्वयं के कार्मिकों/कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से सूचित करे कि उनका बैंक के विरुद्ध कोई दावा नहीं होगा और वे प्रत्यक्ष और/या अप्रत्यक्ष रूप से कोई औद्योगिक विवाद नहीं उठाएंगे, बैंक के साथ या उसके खिलाफ, उनकी किसी भी सेवा शर्तों के संबंध में या अन्यथा।

46. इसके अलावा, बोलीदाता हर समय बैंक को उन सभी दावों के प्रति क्षतिपूर्ति करेगा जो कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत या उसके तहत नियमों या किसी कानून या किसी भी कानून या इस समझौते के उद्देश्य के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने रोजगार में किसी भी दुर्घटना या चोट के परिणामस्वरूप देय मुआवजे के नियमों के तहत किए जा सकते हैं। बोलीदाता अपने कर्मचारियों को पारिश्रमिक और अन्य देयों के साथ-साथ उनके द्वारा की गई चूक/कृत्य के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
47. **मध्यस्थता:** समझौते के तहत या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, विवाद/मतभेद की स्थिति में (उन मामलों को छोड़कर जिनका निर्णय विशेष रूप से करार के तहत प्रदान किया गया है), उसे क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई, नागपुर या उसके नामांकित व्यक्ति द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ को भेजा जाएगा।
48. मध्यस्थ का अवार्ड पार्टियों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। ऐसे मध्यस्थ की स्थिति में, जिसे मूल रूप से मामला भेजा गया है, स्थानांतरित किया जा रहा है या अपना पद छोड़ रहा है या इस्तीफा दे रहा है या काम करने से इनकार कर रहा है या अपने काम की उपेक्षा कर रहा है या किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ है, क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई, नागपुर निवर्तमान मध्यस्थ के स्थान पर मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगा और इस प्रकार उस चरण पर नियुक्त व्यक्ति जिसे वह अपने पूर्ववर्ती द्वारा छोड़ दिया गया था।
49. मध्यस्थ अंतरिम अवार्ड और / या निर्देश देगा, जैसा कि आवश्यक हो सकता है।
50. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के पूर्वोक्त प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम और समय-समय पर लागू होने वाले किसी भी संशोधन को इस खंड के तहत मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू माना जाएगा।
51. **क्षेत्राधिकार:** यह समझौता नागपुर में अदालतों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

**टिप्पणी:** सभी निविदाकर्ता कृपया नोट करें कि निविदा में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि भविष्य में जारी किया जाता है, तो ऊपर दिए गए अनुसार आरबीआई की वेबसाइट और एमएसटीसी वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा और समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

## खंड III

अनुलग्नक I

### अ. तकनीकी बोली का प्रारूप

(निविदाकर्ता के पत्र शीर्ष पर दिया जाना है)

**एमओबी और एओबी, आरबीआई, नागपुर में बैंक के परिसर में कॉफी/चाय की आपूर्ति के लिए कॉफी/चाय वेंडिंग मशीनों की स्थापना और रखरखाव के लिए निविदा**

उपरोक्त के जवाब में और भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के साथ पूर्ण करार के तहत:

- अ. मैं/हम समझते हैं कि समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना आवश्यक होगा। इसके अलावा, मैं/हम यह भी समझते हैं कि ईपीएफ/ईएसआई/बोनस/ग्रेच्युटी आदि जैसे सभी वैधानिक भुगतानों का भुगतान भी मैं/हमारे द्वारा विभिन्न विधियों के तहत निर्धारित अनुसार किया जाना चाहिए।
- आ. भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर के पक्ष में बयाना जमा राशि रु 32,000/- एनईएफ़टी दिनांकित ..... द्वारा दी गई है जिसका यूटीआर नंबर ..... या डीडी नंबर ..... है।
- इ. संविदा प्रदान किए जाने पर, मैं/हम रु 80,000/- की निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करेंगे जो संविदा की अवधि के बाद छह माह के लिए वैध होगी।
- ई. मैं/हम यह भी समझते हैं कि क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर को बिना कोई कारण बताए मेरी/हमारी निविदा बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है और उनका निर्णय मुझ पर/हमारे लिए बाध्यकारी होगा।
- उ. मैंने/हमारे पास कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, जीएसटी आदि के संबंध में वैध पंजीकरण है, जिसकी प्रतियां संलग्न हैं।
- ऊ. मैं/हम सहमत हैं और वचन देते हैं, यदि हमारी बोली सफल और स्वीकृत होती है, तो बैंक की आवश्यकता के अनुसार सेवाओं को वितरित और कार्य के लिए बाध्य है।
- ऋ. मैं/हम यह भी समझते हैं कि निर्दिष्ट समय के भीतर करार को निष्पादित करने में मेरी/हमारी ओर से विफलता की स्थिति में या नियम और शर्तों के मुझे/हमें जिम्मेदार उल्लंघन के मामले में, या कार्य को विधिवत निष्पादित करने में मेरी/हमारी ओर से विफलता की स्थिति में सिक्योरिटी डिपॉजिट/बैंक गारंटी का उपयोग किया जाएगा।
- ल. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने उपरोक्त सभी निर्देशों/शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
(नाम और मुहर)

### आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज:

1. निगमन प्रमाणपत्र की प्रति (भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनियों के मामले में)/पंजीकरण प्रमाणपत्र (साझेदारी फर्मों और मालिकाना संस्थाओं के मामले में)।
2. मेमोरेण्डम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनियों के मामले में)/पार्टनरशिप डीड (साझेदारी फर्मों के मामले में) की प्रति।
3. पिछले 3 वर्षों के लिए दायर की गई रिटर्न की प्रति।
4. उन संगठनों से न्यूनतम दो संदर्भ जिनके साथ निविदाकर्ता वर्तमान में संलग्न प्रारूप के अनुसार एक समान कार्य निष्पादित कर रहा है।
5. वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 के लिए लेखापरीक्षित बैलेंस शीट की प्रति।
6. बैंकर प्रमाणपत्र (अनुबंध VII)
7. ग्राहक प्रमाणपत्र (अनुलग्नक V)
8. भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर के पक्ष में एनईएफटी/डीडीद्वारा 32,000/- रुपये का ईएमडी।  
एनईएफटी के लिए विवरण इस प्रकार हैं: खाता नाम: एनईएफटी - एनईएफटी आवक  
खाता संख्या: 8714295  
आईएफएस कोड: RBISONGPA01 (कृपया आईएफएससी कोड के 5 वें और 10 वें अक्षर को "शून्य" के रूप में पढ़ें)
9. निविदाकर्ता को प्राधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित निबंधन एवं शर्तों की स्कैन प्रति संलग्न करनी होगी।
10. **अनुभव विवरण:** पिछले 3 वर्षों के दौरान निविदाकर्ता द्वारा किए गए समान अनुबंधों की सूची (वर्तमान में मौजूदा आदेशों सहित)। इस प्रयोजन के लिए इसी प्रकार की संविदा का अर्थ है वेंडिंग मशीनों की संस्थापना के साथ-साथ कॉफी/चाय की आपूर्ति के लिए एक व्यापक संविदा।  
इसके अलावा, इच्छुक निविदाकर्ता ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान इसी तरह के कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादित किया होगा:  
(क) तीन कार्य जिनकी लागत अनुमानित लागत के 40% के समान राशि से कम नहीं है का  
**₹26 लाख**  
या

(ख) दो कार्य, जिनकी लागत अनुमानित लागत के 50% के समान नहीं है, प्रत्येक कार्य का **₹26 लाख**

या

(ग) एक कार्य जिसकी लागत 26 लाख रु की अनुमानित लागत के 80% के बराबर न हो,

निम्नलिखित पर भी ध्यान दिया जा सकता है:

1. प्रति निविदाकर्ता केवल एक निविदा स्वीकार की जाएगी।
2. यह ध्यान दिया जा सकता है कि निर्धारित दस्तावेजों में से किसी एक या संतोषजनक स्पष्टीकरण के साथ नहीं होने वाली निविदाएं तुरंत अस्वीकृत कर दी जाएगी।
3. भाग-I और संबंधित दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि किसी भी निविदाकर्ता के पास अपेक्षित पात्रता नहीं पाई जाती है, तो उनकी निविदाएं बैंक द्वारा आगे की प्रक्रिया के लिए स्वीकार नहीं की जाएंगी और उनकी वित्तीय बोली नहीं खोली जाएगी।
4. साथ ही, यदि किसी निविदाकर्ता के पास किसी भी समय निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपेक्षित पात्रता नहीं पाई जाती है और/या उसके बैंक असंतोषजनक पाए जाते हैं तो बैंक निविदा के भाग-II के खुलने के बाद भी उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक ऐसा करने के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।
5. बैंक सबसे कम निविदा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक किसी भी क्षेत्र को निर्दिष्ट किए बिना सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।
6. बैंक को पूर्ण अधिकार है कि जब भी आवश्यक हो, सहमत भुगतान के आधार पर किसी भी अतिरिक्त कार्य हेतु निर्देश दे सकता है जो उचित समझा जा सकता है।

**आ. निविदा कंपनी/फर्म का विवरण**  
**(निविदाकर्ता के लेटर हेड पर दिया जाना है)**

1	कंपनी/फर्म का नाम	
2	कंपनी/प्रोपराइटरशिप, साझेदारी, आदि का प्रकार	
3	मालिक/भागीदारों का नाम और पता/ कंपनी के निदेशक	
4	पंजीकरण (फर्म, कंपनी आदि) /पंजीकरण प्राधिकरण, दिनांक संख्या आदि।	
5	पंजीकृत कार्यालय का पता और टेलीफोन नंबर & ईमेल पता	
6	कार्यालय का पता जिसके माध्यम से कार्य किया जाना है (वेंडर के ईमेल पते के साथ)	
7	अन्य संगठनों में इस तरह की आपूर्तियों के अनुभव	₹ ₹ ₹
8	दूसरे संगठनों को की गई आपूर्ति का कुल मूल्य पिछले 3 वर्षों के लिए संगठन (प्रदत्त सेवा का मूल्य <b>मशीनों की लागत नहीं</b> )	
9	पिछले 3 वर्षों के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करें	
10	क्या अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं के रूप में सरकार /अर्ध सरकारी उद्यम को आपूर्ति की गई है, यदि हां, तो विवरण प्रस्तुत करें	
11	इंगित करें कि क्या किसी मुकदमेबाजी में शामिल हैं	
12	कोई भी विवाद (सांविधिक प्राधिकरणों सहित) जो लंबित हैं और कार्यवाही के चरण का विवरण। कृपया पात्रता मानदंड का क्रम संख्या बी भी देखें और लागू सीमा तक निर्धारित घोषणा प्रस्तुत करें	

मुहर के साथ निविदाकर्ता के हस्ताक्षर



## इ बैंकर/रों का विवरण

(निविदाकर्ता के लेटर हेड पर दिया जाना है)

विवरण	बैंकर 1	बैंकर 2
शाखा का नाम और उसका पूरा डाक पता		
नाम और पदनाम संपर्क व्यक्ति उसके साथ दूरभाष संख्या (ओं) और फैक्स नं. (एस) आदि भी दें ।		
खाते का प्रकार और खाता सं.		
चाहे क्रेडिट सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ वेंडर ने लिया है।		
जिस अवधि से वेंडर बैंकर के साथ बैंकिंग व्यवहार कर रहा है		
कोई अन्य जानकारी जो वेंडर कर सकता है इसके बैंकरों बारे में प्रस्तुत करना चाहता है		
शाखा का IFSC कोड		

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
(नाम और मुहर के साथ)

**प्रारूप II (वित्तीय बोली)**

किराये के आधार पर न्यूनतम पांच कॉफी/चाय वेंडिंग मशीनों की स्थापना और रखरखाव के लिए और ताजे दूध और कॉफी बीन्स का उपयोग करके बैंक के परिसर में कॉफी/चाय/चीनी/गुड़ पाउच की आपूर्ति के लिए निविदा।  
**पंक्ति I:**

आइटम	मात्रा (A)	मजदूरी प्रति माह (बी) (जीएसटी सहित)	कुल (रुपये में)
अर्ध-कुशल कार्मिक	3		

**नोट:**

1. बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि वित्तीय बोली (ऊपर पंक्ति I) में उल्लिखित मूल वेतन प्लस वीडिए श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित वर्तमान न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं है और अन्य अनिवार्य शुल्क यानी ईपीएफ, ईएसआई आदि संबंधित वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हैं।
2. यह नोट किया जाए कि न्यूनतम निविदा का निर्णय केवल किराया प्रभार के कुल वार्षिक उद्धृत मूल्य और कच्चे माल की लागत (पंक्ति II और पंक्ति III) के आधार पर किया जाएगा और इसे L1 के रूप में पहचाना जाएगा।
3. यद्यपि पंक्ति I में मांगी गई निश्चित लागत को एल 1 पर आने के लिए नहीं माना जाता है, वित्तीय बोली को अस्वीकार कर दिया जा सकता है यदि उपरोक्त दरों और प्रतिशत में से कोई भी संबंधित वैधानिक कानूनों के अनुपालन में नहीं पाया जाता है।
4. किसी निविदा के मामले में, जहां खाद्य पदार्थों की उद्धृत लागत असामान्य रूप से अधिक या बहुत कम पाई जाती है, ऐसी निविदा को असंतुलित माना जाएगा और बैंक को बोलीदाता को बिना किसी और सूचना के ऐसी निविदाओं को तुरंत अस्वीकार करने का एकमात्र अधिकार होगा।

**पंक्ति II:**

आइटम	मात्रा (A)	प्रति माह किराया (बी) (जीएसटी सहित)	कुल (C) (सी 1: ए * बी) (रुपयों में)
किराए के आधार पर कॉफी वेंडिंग मशीनें	5		

**पंक्ति III:**

क्र मां क	5 मशीनों के लिए कच्चा माल	औसत मासिक खपत	मापने की इकाइयाँ	इकाइयों में मात्रा (A)	दर रु. (ख)	जीएसटी सहित राशि (सी 2: ए * बी) (रुपयों में)
1	बीन्स	35	किलोग्राम	35		

2	मसाला चाय	6	100 पीसी/बॉक्स	600		
3	अदरक की चाय	8	100 पीसी/बॉक्स	800		
4	इलायची की चाय	8	100 पीसी/बॉक्स	800		
5	असम चाय	6	100 पीसी/बॉक्स	600		
6	कश्मीरी कावा	3	100 पीसी/बॉक्स	300		
7	हनी लेमन टी	4	100 पीसी/बॉक्स	400		
8	ग्रीन टी	41	25 पीसी/बॉक्स	1025		
9	नींबू की चाय	24	25 पीसी/बॉक्स	600		
10	पेपर कप (150 मिली)	16000	पीसी	16000		
11	स्टरर	8	500पीसी/बॉक्स	4000		
12	पॉप अप टिश्यू	10	100 पीसी/बॉक्स	1000		
13	शुगर पाउच	100	100 पीसी/बॉक्स	10000		
14	गुड़ का सैशे	50	100 पीसी/बॉक्स	5000		
15	बादाम पिस्ता मिक्स	05	20 पीसी/बॉक्स	100		
16	दूध	475	लीटर	475		
17	हॉट चॉकलेट	05	20 पीसी/बॉक्स	100		
18	सादा टमाटर का सूप	05	25 पीसी/बॉक्स	125		
19	वेज हॉट और खट्टा सूप	05	25 पीसी/बॉक्स	125		
20	मकई का सूप	05	25 पीसी/बॉक्स	125		

कुल योग = C1+C2

औसत मासिक राशि का कुल योग (शब्दों में)

.....  
प्रमाणित किया गया है कि: - उपरोक्त दरों में सभी लागू शुल्क और कर शामिल हैं।

### नोट

एक. कुल लागत ब्रेकडाउन में मशीन रेंटल कॉस्ट + उपभोग की गई सामग्री + मैनपावर वेज शामिल होंगे।

दो. खरीदे जाने वाले कच्चे माल कैफे कॉफी डे, नेस्ले, टाटा टी, लिष्टन आदि जैसे प्रतिष्ठित ब्रांडों के होने चाहिए।

तीन. मशीन से नेस्कैफे, ब्रू कैफे कॉफी डे के दूध (लट्टे, कैप्पुचिनो, एस्प्रेसो) के साथ/बिना इससे कॉफी आनी चाहिए।

चार. उद्धृत दरें अनुबंध शुरू होने की तारीख से 01 सितंबर, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक मान्य हैं।

पाँच. दरों में वृद्धि यानी मूल्य वृद्धि को मुद्रास्फीति दरों के अनुसार माना जाएगा। बाद के वर्षों के लिए वस्तुओं की दरों की गणना इंडेक्सेशन के आधार पर की जाएगी। इस तरह के इंडेक्सेशन के लिए उपयोग किया जाने वाला फॉर्मूला इस प्रकार होगा:

$AC = AP (15 + 85 \times (CPI_c/CPI_p)) \times 1/100$ , जहाँ

$Ac$  = वर्तमान वर्ष के लिए वस्तु की दर

$Ap$  = पिछले वर्ष के लिए वस्तु की दर

$CPI_c$  = चालू वर्ष के लिए अनुबंध की प्रारंभ तिथि से 6 महीने पहले सम्पूर्ण भारत के लिए शहरी गैर-मैनुअल कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

$CPI_p$  = पिछले वर्ष के लिए अनुबंध की शुरुआत की तारीख से पहले 6 महीने के लिए सम्पूर्ण भारत के लिए शहरी गैर-मैनुअल कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

हम समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर द्वारा निर्धारित की जाने वाली आवश्यकता के अनुसार खानपान सेवाएं प्रदान करेंगे।

### **नोट**

\*उल्लिखित मात्राएं उपर्युक्त सांकेतिक मासिक खपत पर आधारित हैं। उपरोक्त संख्या वर्तमान खपत पर आधारित है और स्वाद और मांग के आधार पर बदल सकती है।

### **कुल योग = C1+C2**

मूल्य बोली के मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जाएगा। न्यूनतम निविदा का निर्णय केवल सम्पूर्ण योग में उद्धृत कुल राशि के आधार पर किया जाएगा और इसकी पहचान एल-1 के रूप में की जाएगी।

### परिशिष्ट III

#### घोषणा

(ग्राहक के पत्र शीर्ष पर दिया जाना है)

यह प्रमाणित है कि:

- अ) निविदाकर्ता का ट्रैक रिकॉर्ड साफ है और यह किसी भी अवैध गतिविधियों या वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल नहीं था;
- आ) असंतोषजनक निष्पादन के कारण संविदा अवधि के दौरान किसी संगठन द्वारा विगत में निविदाकर्ता की संविदा समाप्त नहीं की गई थी और
- इ) लागू कानूनों के उल्लंघन या नियामक निर्देशों के उल्लंघन या करार के उल्लंघन या किसी भी कारण से किसी भी सरकारी संगठन / बैंक / किसी अन्य संस्था द्वारा निविदाकर्ता को नकारात्मक सूची में नहीं रखा गया है।
- ई) कोई भी एजेंट, बिचौलिया या कोई मध्यस्थ इस अनुबंध के अवार्ड और प्रदर्शन से संबंधित कोई भी सेवाएं, या कोई अन्य वस्तु या कार्य प्रदान करने के लिए नहीं लगाया गया है, या नहीं लगाया जाएगा।
- उ) किसी एजेंसी कमीशन या कोई भुगतान जिसे एजेंसी कमीशन के रूप में माना जा सकता है, का भुगतान नहीं किया गया है या किया जाएगा और निविदा मूल्य में ऐसी कोई राशि शामिल नहीं होगी।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(नाम और मुहर के साथ)

**अनुसूचित बैंक से बैंकों के सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट का ड्राफ्ट फॉर्म**

(यह बैंकर द्वारा सील किए गए लिफाफे में निविदा के साथ संलग्न किया जाना चाहिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और सूचना के अनुसार मैसर्स..... जिनका नीचे दिए गए पते के अनुसार है, हमारे बैंक का सम्मानित ग्राहक है और उसे रु. .... तक की सीमा तक कार्य प्रदान किया जा सकता है। यह प्रमाण पत्र बैंक या किसी भी अधिकारी पर बिना किसी गारंटी या जिम्मेदारी के जारी किया जाता है।

(हस्ताक्षर)

कृते बैंक

**नोट:**

बैंकों के प्रमाण पत्र बैंक के पत्र शीर्ष पर होने चाहिए, क्षेत्रीय निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर को संबोधित लिफाफे में सील किया जाना चाहिए।

साझेदारी सफल बोलीदाता के मामले में, बैंक के पास रिकार्ड किए गए सभी भागीदारों के नाम शामिल करने के लिए प्रमाण पत्र।

फर्म की संरचना (चाहे साझेदारी /एलएलपी/प्राइवेट लिमिटेड/प्रोपराइटरशिप/पब्लिक लिमिटेड) इंगित की जा सकती है

## अनुलग्नक V

### वेंडर के कार्य प्रदर्शन के संबंध में ग्राहक का प्रमाण पत्र (ग्राहक के पत्र शीर्ष पर दिया जाना है)

1. ग्राहक का नाम & पता
2. श्री / मेसर्स इंडिया द्वारा निष्पादित कॉफी/चाय सेवाओं का ब्यौरा
3. संक्षिप्त विवरण के साथ कार्य का नाम
4. करार सं. और तारीख
5. अनुबंध राशि
6. अनुबंध शुरू होने की तारीख
7. अनुबंध की समाप्ति की तिथि
8. वेंडर के साथ संबंध की अवधि
9. दी गई सेवाओं में कमियों के लिए लगाए गए दंड के ब्यौरे (दंड लगाए जाने की तारीख, दंड की राशि और कारण)
10. अनुबंध के दौरान वेंडर के साथ विवादों का विवरण
11. वेंडर द्वारा सेवा की गुणवत्ता पर सामान्य प्रतिक्रिया
12. प्रदान की गई कॉफी/चाय सेवाओं की रेटिंग: उत्कृष्ट /बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब
13. सिफारिश, यदि कोई या कोई अन्य प्रतिक्रिया

(ग्राहक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

## प्रतिभूति जमा के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा

(जारीकर्ता बैंक के नाम पर खरीदे गए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है)

संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_

प्रति  
क्षेत्रीय निदेशक  
भारतीय रिज़र्व बैंक  
मुख्य कार्यालय भवन,  
डॉ राघवेंद्र राव रोड, सिविल लाइंस  
नागपुर- 440001

प्रिय महोदय,  
बैंक के परिसर में कॉफी/चाय की आपूर्ति के लिए कॉफी/चाय वेंडिंग मशीनों की स्थापना और रखरखाव के लिए एमओबी और एओबी में उनके अनुबंध के संदर्भ में मैसर्स \_\_\_\_ (इसके बाद "ठेकेदार" के रूप में संदर्भित) को उनके अनुबंध के संदर्भ में संलग्न करने के लिए आपकी सहमति को ध्यान में रखते हुए और अनुबंध की आपकी विशेष शर्तें और उससे संबंधित अन्य निविदा दस्तावेज पारस्परिक रूप से सहमत/निर्धारित या संदर्भित शर्तों और परिवर्तनों के अधीन आपके अनुबंध में \_\_\_\_ इसके बाद निहित तरीके से हमारी ओर से गारंटी के रूप में, हम (बैंक का नाम) एतद्वारा अनुबंध करते हैं और आपसे निम्नानुसार सहमत हैं:

- हम आपको क्षतिपूर्ति करने और समय-समय पर ₹ /- (केवल रुपए) की सीमा तक क्षतिपूर्ति प्रदान करने का वचन देते हैं, जो आपको ठेकेदार द्वारा उक्त अनुबंध में निहित किसी भी नियम और शर्तों के किसी भी उल्लंघन के कारण हुई या सहन की गई किसी भी हानि या क्षति के लिए होगी और यदि ठेकेदार उक्त अनुबंध के तहत किसी भी कार्य को करने में या अन्यथा उसके वास्तविक उद्देश्य और अर्थ के अनुसार उससे संबंधित किसी भी नियम और शर्तों के पालन और प्रदर्शन में कोई चूक करता है, तो हम मांगे जाने पर आपको उक्त राशि या राशियों का भुगतान करेंगे, जो कुल मिलाकर ₹ /- (केवल रुपए) की राशि से अधिक नहीं होगी, जैसा कि आप ठेकेदार की ओर से ऐसी चूक के कारण अपने नुकसान और/या क्षति, लागत, शुल्क या व्यय के रूप में दावा कर सकते हैं।
- इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, आपका निर्णय कि क्या ठेकेदार ने ऐसी कोई चूक या चूक की है और राशि या राशि जिसके आप उसके कारणों से हकदार हैं, हम पर बाध्यकारी होगा और हम आपको इस गारंटी के तहत अपना दावा या दावे स्थापित करने के लिए कहने के हकदार नहीं होंगे, लेकिन बिना किसी विरोध या देरी के आपकी मांग पर तुरंत भुगतान करेंगे।



3. यह गारंटी तब तक जारी रहेगी और तब तक जारी रहेगी जब तक कि उक्त अनुबंध की सापेक्ष गारंटी अवधि समाप्त होने के बाद ठेकेदार द्वारा आवेदन पर आपके द्वारा जारी नहीं किया जाता है और ठेकेदार द्वारा उक्त अनुबंध के तहत अपने सभी दायित्वों का निर्वहन करने और उक्त अनुबंध के तहत काम के उचित समापन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और "नो डिमांड सर्टिफिकेट" प्रस्तुत करने के बाद तक जारी रहेगा, बशर्ते कि यह गारंटी किसी भी स्थिति में अनुबंध की समाप्ति के दिन के छह (06) महीने बाद आपके दावे या दावों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लागू नहीं होगी और लिखित रूप में हमें सूचित की गई या अन्यथा सूचित की गई।

4. यदि किसी भी कारण से इस गारंटी का विस्तार करना आवश्यक हो, तो हम आपके अनुरोध पर इस गारंटी की अवधि को ऐसे समय तक बढ़ाने का वचन देते हैं जब तक कि आपको आवश्यकता न हो। इस संबंध में आपका निर्णय अंतिम और हम पर बाध्यकारी होगा।

5. आपको समय-समय पर इस गारंटी को प्रभावित किए बिना उक्त अनुबंध के किसी भी नियम और शर्तों को बदलने या ठेकेदार के प्रदर्शन के समय को बढ़ाने या किसी भी समय या समय-समय पर स्थगित करने की पूरी स्वतंत्रता होगी ठेकेदार के खिलाफ आपके किसी भी अधिकार या शक्तियां और उक्त अनुबंध के किसी भी नियम और शर्तों को लागू करने के लिए लागू करने या रोकने के लिए और और हम पूर्वोक्त मामलों के संदर्भ में आपकी स्वतंत्रता के प्रयोग से या ठेकेदार को दिए जा रहे किसी भी समय या आपकी ओर से किसी अन्य निषेध, कार्य या चूक या आपके द्वारा ठेकेदार को किसी भी कृत्य या उक्त अनुबंध या किसी अन्य अधिनियम के किसी भी बदलाव या संशोधन के कारण इस गारंटी के तहत हमारी देयता से मुक्त नहीं होंगे, मामला या चीजें जो भी ज़मानत से संबंधित कानून के तहत होंगी, लेकिन इसके प्रावधानों के लिए हमें हमारे दायित्व से मुक्त करने का प्रभाव है, बशर्ते कि इसमें निहित कुछ भी हमारे दायित्व को ₹ \_\_\_\_/- (रुपये \_\_\_\_ मात्र ) की सीमा से परे बढ़ाएगा जैसा कि पूर्वोक्त है।

6. यह गारंटी किसी भी तरह से ठेकेदार या किसी अन्य व्यक्ति, फर्म या कंपनी से अपनी ओर से या ठेकेदार के समापन, विघटन, दिवालियापन या मृत्यु से किसी भी प्रतिभूति को लेने या बदलने या छोड़ने से प्रभावित नहीं होगी।

7. इसमें निहित गारंटी को पूर्ण प्रभाव देने के लिए, आप कार्य करने के हकदार होंगे जैसे कि हम ठेकेदार के खिलाफ आपके सभी दावों के संबंध में आपके प्रमुख देनदार थे, जो हमारे द्वारा पूर्वोक्त के रूप में गारंटीकृत हैं और हम एतद्वारा स्पष्ट रूप से ज़मानत और अन्य अधिकारों के हमारे सभी अधिकारों का त्याग करते हैं, यदि कोई हो, जो किसी भी तरह से इस गारंटी के किसी भी प्रावधान के साथ असंगत हैं।

8. पूर्वोक्त के रूप में हमारे दायित्व की अधिकतम सीमा के अधीन, यह गारंटी समय-समय पर ठेकेदार के खिलाफ आपके सभी दावों या दावों को कवर करेगी जो उक्त अनुबंध से या उसके संबंध में उत्पन्न होते हैं और जिसके संबंध में आपका दावा इस गारंटी की समाप्ति से पहले हम पर दर्ज किया जाता है।

9. मांग के माध्यम से या अन्यथा इसके तहत कोई भी नोटिस विशेष कूरियर, ईमेल या पंजीकृत डाक द्वारा हमारे स्थानीय पते पर पूर्वोक्त के रूप में भेजा जा सकता है और यदि डाक द्वारा भेजा जाता है, तो इसे तब दिया गया माना जाएगा जब इसे पोस्ट किया गया है।

10. यह गारंटी और इसमें निहित शक्तियां और प्रावधान हमारे द्वारा आपको दी गई किसी अन्य गारंटी या गारंटी की सीमा या प्रतिस्थापन के माध्यम से नहीं हैं (चाहे दूसरों के साथ संयुक्त रूप से या अकेले) और अब मौजूदा अरद्द हैं और यह गारंटी ऐसी गारंटी या गारंटी को रद्द या सीमित नहीं करेगी।

11. यह गारंटी ठेकेदार या हमारे संविधान में किसी भी बदलाव से प्रभावित नहीं होगी और न ही यह आपके संविधान में किसी भी बदलाव से या उसके किसी समामेलन या अवशोषण से प्रभावित होगी, लेकिन अवशोषित या समामेलित कंपनी या चिंता के लाभ के लिए सुनिश्चित करेगी और उपलब्ध और लागू करने योग्य होगी।

12. उक्त निविदा की किसी भी शर्त को लागू करने में बैंक की ओर से कोई भी निषेध, कार्य या चूक या बैंक द्वारा निविदाकर्ता को कोई भोग दिखाने से किसी भी तरह से ज़मानत का निर्वहन नहीं होगा और इस गारंटी के तहत ज़मानत के दायित्वों का निर्वहन केवल बैंक द्वारा ज़मानत को दी जाने वाली सूचना पर किया जाएगा।

13. यह गारंटी इसकी मुद्रा की अवधि के दौरान अपरिवर्तनीय है और लिखित रूप में आपकी पूर्व सहमति के बिना रद्द नहीं की जाएगी।

14. हम आगे सहमत हैं और आपके और ठेकेदार या किसी अन्य व्यक्ति के बीच मौजूद या उत्पन्न होने वाले किसी भी अंतर या विवाद या विवाद के बावजूद लिखित रूप में आपके द्वारा मांगी गई राशि का भुगतान किए बिना आपको भुगतान करने का वचन देते हैं।

15. ऊपर दी गई किसी बात के होते हुए भी, इस गारन्टी के अधीन हमारा दायित्व ₹ \_\_\_\_/- (\_\_\_\_ मात्र रुपए) तक सीमित है। जब तक इस गारंटी की समाप्ति तिथि से पहले इस गारंटी के तहत भुगतान के लिए हम पर एक लिखित दावा दर्ज नहीं किया जाता है, जिसमें इस गारंटी के विस्तार, यदि कोई हो, शामिल हैं, तो गारंटी के तहत आपके सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएंगे और हमें इसके तहत सभी देनदारियों से मुक्त कर दिया गया माना जाएगा, भले ही मूल गारंटी हमें वापस की गई हो या नहीं।

16. हमारे पास हमारे बैंक के मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के तहत आपके पक्ष में यह गारंटी जारी करने की शक्ति है और अधोहस्ताक्षरी को बैंक द्वारा उसे दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत इस गारंटी को निष्पादित करने की पूरी शक्ति है।

हस्ताक्षरित और वितरित

(उपर्युक्त बैंक की ओर से और के लिए)

के लिए और की ओर से (बैंकर का नाम और मुहर)

शाखा प्रबंधक  
(बैंकर की मुहर)

पता \_\_\_\_\_

## अनुलग्नक VII (बैंक का प्रमाणपत्र)

बैंक के लेटर हेड पर

सन्दर्भ सं.

दिनांक :

क्षेत्रीय निदेशक  
भारतीय रिज़र्व बैंक  
मानव संसाधन प्रबंध विभाग  
नागपुर-440001

प्रिय महोदय,

**नौकरी का नाम:**

### बैंक का प्रमाण पत्र

हम पुष्टि करते हैं कि मेसर्स \_\_\_\_\_ हमारे साथ बैंकिंग कर रहे हैं हमारे साथ। उन्हें ₹ 24 लाख के लिए किसी भी अनुबंध को सौंपने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत माना जा सकता है।

2. अन्य विवरण आपके अवलोकन और रिकॉर्ड के लिए नीचे दिए गए हैं:

क्रम संख्या	विवरण	बैंक की टिप्पणियां
1	फर्म की संरचना (चाहे साझेदारी /स्वामित्व / सार्वजनिक लिमिटेड है।)	
2	फर्म के मालिक/भागीदारों/निदेशकों के नाम	
3	उनके द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा	
4	व्यवहार	
5	वह अवधि जब से फर्म आपके बैंक के साथ बैंकिंग कर रही है	
6	कोई अन्य टिप्पणी	

यह प्रमाण पत्र बैंक या उसके किसी भी अधिकारी पर बिना किसी गारंटी या जिम्मेदारी के जारी किया जाता है।

बैंक की मुहर,

भवदीय

(हस्ताक्षर)  
बैंक के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

**अनुलघक VIII**

**दंड**

क्रम संख्या	कमी/अनियमितता का प्रकार	एक वित्तीय वर्ष में 1- 4 उदाहरण	एक वित्तीय वर्ष में 4 से अधिक उदाहरण
1.	आपूर्ति की गई उपभोग्य सामग्रियों की खराब गुणवत्ता	₹1000/- प्रति उदाहरण और अन्य कार्रवाई जो बैंक उचित समझे	₹10000/- प्रति उदाहरण और अन्य कार्रवाई जो बैंक उचित समझे
2.	वैधानिक न्यूनतम मजदूरी के भुगतान का अनुपालन न करना और निर्धारित समय के भीतर सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफलता	₹5000/- प्रति उदाहरण और अन्य कार्रवाई जो बैंक उचित समझे	₹10000/- प्रति उदाहरण और अन्य कार्रवाई जो बैंक उचित समझे
3.	अनुचित रखरखाव और वेंडिंग मशीन की सफाई / गैर-रखरखाव	₹1000/- प्रति उदाहरण और अन्य कार्रवाई जो बैंक उचित समझे	₹10000/- प्रति उदाहरण और अन्य कार्रवाई जो बैंक उचित समझे
4.	समझौते के अनुसार मशीन ऑपरेटर की तैनाती न करना या किसी कार्य दिवस पर ऐसे कर्मचारियों की अनुपलब्धता	₹1000/- प्रति उदाहरण और अन्य कार्रवाई जो बैंक उचित समझे	₹10000/- प्रति उदाहरण और अन्य कार्रवाई जो बैंक उचित समझे
5.	T+1 दिन से परे किसी भी वेंडिंग मशीन का डाउन-टाइम, T बैंक द्वारा रिपोर्टिंग का दिन है	₹1000/- प्रति मशीन प्रति दिन टी+1 से आगे और कोई अन्य कार्रवाई जो बैंक उचित समझे	₹10000/- प्रति उदाहरण और अन्य कार्रवाई जो बैंक उचित समझे